(325) (201) (12)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)

R. 2016-I/12

पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर

R-2016-I/12

1. रामभजन } तनय झुरू कुम्हार निवासी ग्राम ओवरी तहसील देवसर
2. रामरतन } जिला सिंगरौली (म०प्र०) - - - - - - - आवेदकगण

बनाम

म०प्र० शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

अधिवक्ता श्री जी.पी. शर्मा द्वारा प्रस्तुत। रीवा दि० 31-5-2012

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार
तहसील देवसर प्र. क्र. 151/अ6अ/11-12
आदेश दिनांक 30. 3. 12

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50म. प्र. भू. रा. सं.

मान्यवर,

निम्नांकित आधारो पर निगरानी पेश है:-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी है।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मूल अभिलेख तलब कराये ही पट्टा फर्जी मानकर निरस्त करने में कानूनी भूल की है।

(3) यह कि ग्राम ओवरी की आ. नं. 2076/2 रकवा 0.40 हे. का पट्टा नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र बरगवां तहसील देवसर जिला सीधी के द्वारा आवेदक गण के नाम प्र. क्र. 630/अ19(4)/91-92 आदेश दिनांक 30. 9. 92 के द्वारा किया गया था जिसमें तहसीलदार देवसर द्वारा अपने समक्ष अधिकारी के आदेश को बिना पुनर्वलोकन की स्वीकृत के खसरा सुधार के माध्यम से निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो काबिल निरस्तगी है। तथा दि०1-4-12 से ग्राम ओवरी, नई तहसील सरई के कायम होने से तहसीलदार देवसर को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था।

(4) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा दिनांक 30. 3. 12 को दिनांक 13. 4. 12 को पेशी दी गई व दिनांक 13. 4. 12 को पेशी पर दिनांक 20. 4. 12 पेशी दी गई थी तथा दिनांक 24. 4. 12 को पेशी पर बताया गया, कि दिनांक 30. 3. 12 को ही आदेश हो गया है जिससे नकल लेकर निगरानी समय सीमा के अंदर है।

अस्तु निगरानी पेश कर विनय है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने की आज्ञा दी जाय।

दिनांक- 31-5-12

प्रार्थी
1. रामभजन तनय झुरू कुम्हार
2. रामरतन तनय झुरू कुम्हार
सा० ओवरी तहसील देवसर
जिला सिंगरौली (म०प्र०)

द्वारा अधिवक्ता

जी. पी. शर्मा
एड.

क्रमांक 1686 ... द्वारा आज प्रस्तुत 19-6-12

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2016-I/12 जिला सिंगरौली

रामभजन विरूद्ध म०प्र० शासन

1	2	3
16.1.19.	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कु० अग्निहोत्री अधिवक्ता के द्वारा यह ~~नायब~~ तहसीलदार तहसील देवसर प्रकरण क्रमांक 151/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.03.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

सा0 ओवरी तहसील देवसर
जिला सिंगरौली (म0प्र0)

द्वारा अधिवक्ता

जी. पी. शर्मा
एड.